

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 ईसीआई/पीएन/22/2015

दिनांक : 05 मार्च, 2015

## प्रेस नोट

**विषय:** विधान सभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए 5 सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 4 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29 मार्च, 2015 को उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त होने जा रही है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री आर. पद्मा राजू	29.03.2015
2.	श्री सिंघम बास्वा पुन्नैय्या	29.03.2015
3.	श्री गुंडूमाला थिप्पे स्वामी	29.03.2015
4.	श्री नन्नापानेनी राजाकुमारी	29.03.2015

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 23 के अनुसार, विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली आंध्र प्रदेश विधान परिषद की सीटों की संख्या 17 निर्धारित की गई है परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 22(2) के साथ पठित चौथी अनुसूची के अधीन विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 अर्थात् एक कम नियत की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 108 के अनुसार उक्त असंगति को दूर करने के लिए यह असंगति केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) को संदर्भित की गई थी। गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि उक्त खाली सीट अब भर ली जाए। अर्थात्,

उपरोक्त चार (4) रिक्तियों की बजाय पांच (5) रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन आयोजित किया जा सकता है।

2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार रिक्त हुई उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुसूची
1.	अधिसूचना जारी करना	10 मार्च, 2015 (मंगलवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	17 मार्च, 2015 (मंगलवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	18 मार्च, 2015 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	20 मार्च, 2015 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख	27 मार्च, 2015 (शुक्रवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वा. 9:00 बजे से अप. 4:00 बजे तक
7.	मतों की गणना	27 मार्च, 2015(शुक्रवार), अप. 5:00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	29 मार्च, 2015 (रविवार)

3. यह भी उल्लेख किया जाता है कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तेलंगाना की विधान परिषद के 07 सदस्य भी दिनांक 29 मार्च, 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यद्यपि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 कि धारा 23 के अधीन सीटों की इस श्रेणी के लिए नियत सीटों की संख्या अर्थात् 14 और अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन नियत सदस्यों की संख्या अर्थात् 15, अर्थात् एक अतिरिक्त सदस्य में असंगति है। इस दृष्टिकोण से, अधिनियम की धारा 108 के अधीन असंगति को दूर करने के लिए यह मामला केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) को संदर्भित किया गया था। केन्द्र

सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है। जैसे ही मामला केन्द्र सरकार द्वारा सुलझा लिया जाता है, आयोग विधि के अनुसार इन सीटों को भरने के लिए कार्रवाई करेगा।

4. इसी प्रकार, संबंधित राज्यों के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा तदनुसार निर्वाचित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के विधान परिषद के 03 एवं 08 सदस्य भी उनके कार्यकाल के समाप्त होने पर दिनांक 29 मार्च 2015 एवं दिनांक 01 मई, 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन के साथ-साथ, संबंधित राज्यों के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की आंध्र प्रदेश विधान परिषद में 08 सीटें एवं तेलंगाना विधान परिषद में 01 सीट सदस्यों की सेवानिवृत्ति के दौरान 2013 से रिक्त पड़ी हुई है क्योंकि स्थानीय प्राधिकरण संगत समय पर अस्तित्व में नहीं थी इसलिए इन सीटों को भरने के लिए समय पर निर्वाचन आयोजित नहीं किया जा सका था। अब स्थानीय प्राधिकरण अस्तित्व में हैं और इन सीटों को भरने के लिए भी निर्वाचन आयोजित किया जाना है। यद्यपि, जैसाकि अधिनियम की धारा 23 के अधीन निर्धारित सीटों की संख्या एवं अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अधीन नियत सीटों की संख्या के संबंध में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में असंगतियां हैं इसलिए असंगतियों को दूर करने के लिए मामला केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) को संदर्भित किया गया था। केन्द्र सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है। जैसे ही मामला केन्द्र सरकार द्वारा सुलझा लिया जाता है, आयोग विधि के अनुसार इन सीटों को भरने के लिए कार्रवाई करेगा।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक

**Guidelines on transparency and accountability in party funds and election expenditure –submission of reports by unrecognized political parties – regarding.**